

नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना यथा संशोधित वर्ष 2016 अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन की प्रक्रिया वर्ष 2016 निम्नानुसार होगी :-

1. **उद्देश्य :-** नक्सल प्रभावित जिलों के पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया आवासीय एवं निःशुल्क गुणवत्तापरक पोस्ट मैट्रिक (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) स्तर की शिक्षा एवं इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाने के लिए तैयारी कराना है।

2. **परिभाषाएं :-**

(अ) **प्रयास आवासीय विद्यालय** — नक्सल प्रभावित जिलों के पूर्व माध्यमिक/हाईस्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापरक पोस्ट मैट्रिकोत्तर शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय से है।

(ब) **संचालन समिति** — संचालन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 23 में वर्णित समिति से है।

(स) **संस्था** — संस्था से अभिप्राय अध्यापन/कोचिंग हेतु आउटसोर्सिंग से चयनित संस्था का है, जो योजना नियम के अनुसार योग्यता रखते हैं।

(द) **मॉनीटरिंग समिति** — मॉनीटरिंग समिति से अभिप्राय नियम की कंडिका 24 में वर्णित समिति से है।

(इ) **विभागीय चयन समिति** — विभागीय चयन समिति से अभिप्राय योजना नियम की कंडिका 16 में वर्णित समिति से है।

(ई) **नक्सल प्रभावित क्षेत्र** — नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अभिप्राय राज्य शासन द्वारा उन अधिसूचित क्षेत्रों से है जो कि नक्सल गतिविधियों से प्रभावित हैं।

3. **आवासीय विद्यालय के प्रकार:-**

I. **फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय :-** इस विद्यालय में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा 9वीं एवं 10वीं तक अध्ययन कर सकेंगे एवं मुख्या आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु तैयारी कर सकेंगे। यह कांकेर में स्थापित है।

II. **मुख्य प्रयास आवासीय विद्यालय :-** इस विद्यालय में कक्षा 11वीं एवं 12वीं का अध्ययन होगा तथा इस विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के तैयारी के साथ प्रतियोगीय परीक्षा की विशेष तैयारी कराई जाएगी। यह रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, अंबिकापुर जिला मुख्यालय पर स्थापित है।

4. **योजनांतर्गत शामिल जिले :-** नक्सल प्रभावित जिलें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव, कांकेर, राजनांदगांव, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, बालोद, गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुंद) कुल 16 जिले शामिल होंगे।

5. प्रयास आवासीय विद्यालयों में चयन हेतु मापदण्ड :-

- (i) विद्यार्थी कंडिका (4) में शामिल जिले का सामान्यतः निवासी होना चाहिए।
- (ii) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण एवं अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे किन्तु प्रवेश के समय न्यूनतम 60% अंक/“बी” ग्रेड से उत्तीर्ण होने संबंधी अंकसूची प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) फीडर प्रयास विद्यालय में प्रवेश हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, किन्तु प्रवेश के समय कक्षा 8वीं में न्यूनतम 60% / “बी” ग्रेड में उत्तीर्ण होने संबंधी अंकसूची प्रस्तुत करना होगा।
- (iv) नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा अर्थात् उन्हें संस्था में सीधे प्रवेश दिया जायेगा। किन्तु नक्सल हिंसा से परिवार प्रभावित है इसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. प्रयास आवासीय विद्यालयों में सीट क्षमता :-

(अ) प्रयास आवासीय विद्यालय

स0क0	संस्था का नाम एवं जिला	11वीं		12वीं		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1.	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर	125	--	125	--	250
2.	प्रयास बालिका आवासीय विद्यालय, रायपुर	--	125	--	125	250
3.	प्रयास आवासीय विद्यालय, जगदलपुर	75	50	75	50	250
4.	प्रयास आवासीय विद्यालय, दुर्ग	75	50	75	50	250
5.	प्रयास आवासीय विद्यालय, सरगुजा	75	50	75	50	250
6.	प्रयास आवासीय विद्यालय, बिलासपुर	75	50	75	50	250
योग		425	325	425	325	1500

(ब) फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय

स0क0	संस्था का नाम एवं जिला	9वीं		10वीं		योग
		बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1.	प्रयास आवासीय विद्यालय, कांकेर	50	50	50	50	200
योग		50	50	50	50	200

7. प्रवेश में आरक्षण :-

- (i) नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चों पर आरक्षण लागू नहीं होगा अर्थात् सभी नक्सल प्रभावित बच्चों का सीधे प्रवेश होगा।
- (ii) शेष विद्यार्थियों के लिए अ.जा.- 50%, अ.ज.जा. 20%, अ.पि.व.- 20%, सामा.वर्ग- 10% के मान से आरक्षण लागू होगा। सीट रिक्त रहने पर एक दूसरे में समायोजना किया जा सकेगा।

8. विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु राज्य स्तर (फीडर प्रयास विद्यालय को छोड़कर)/से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। फीडर प्रयास विद्यालय के लिये जिला स्तर से ही विज्ञान निकाला जाएगा।
- (ii) विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) प्रवेश परीक्षा प्रत्येक प्रयास आवासीय विद्यालय में होगा।
- (iv) प्रवेश परीक्षा का आयोजन जिला कलेक्टर द्वारा अपने निगरानी में कराया जायेगा।
- (v) मूल्यांकन कार्य एवं मेरिट सूची तैयार करने का कार्य राज्य स्तर पर होगा। इस हेतु एक समिति होगी।
- (vi) जिला मुख्यालय रायपुर में विद्यार्थियों को प्रयास विद्यालय आबंटित करने हेतु केन्द्रियकृत काउंसिलिंग की व्यवस्था होगी। काउन्सिलिंग एक समिति द्वारा किया जाएगा।
- (vii) प्रयास आवासीय विद्यालय का आबंटन उनके द्वारा अर्जित मेरिट तथा उनके द्वारा दिए गए विद्यालय के प्राथमिकता क्रम में किया जाएगा। इस हेतु विद्यार्थी या उसके पालक से प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्राथमिकता लिखित में लिया जायेगा।
- (viii) विद्यार्थियों की मेरिट सूची एवं अंतिम चयन सूची विभागीय वेबसाइट पर डाली जाएगी।

9. मान्यता प्राप्त बोर्ड अंतर्गत नामांकन :- प्रयास आवासीय विद्यालय में छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, सी.बी.एस.ई. या आई.सी.एस.ई. बोर्ड के अधीन विद्यार्थियों का नामांकन कराया जाएगा।

10. शिक्षा का माध्यम — प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिन्दी होगा।

11. प्रयास आवासीय विद्यालयों के संचालन का मॉडल :- प्रयास आवासीय विद्यालयों में भवन, मेस, छात्रावास, विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश स्वास्थ्य सुविधा समस्त अधोसंरचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शैक्षणिक सुविधा अंतर्गत शिक्षकों की व्यवस्था निजी संस्थाओं से आउट सोर्स से की जाएगी, जिसके लिए पंजीकृत शैक्षणिक निजी संस्थानों से “रूचि की अभिव्यक्ति” के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा।

12. संस्था चयन हेतु प्रदत्त शक्तियां एवं कार्यवाही के अधिकार:-

(i) रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय बालक एवं बालिका हेतु संस्था का चयन, अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करना तथा नियमानुसार भुगतान करने, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण सीधे आयुक्त, आ.जा.अनु.जा.वि., रायपुर द्वारा होगा।

(ii) जिला स्तर पर स्थित अन्य प्रयास विद्यालयों हेतु संस्था चयन, अनुबंध एवं कार्यादेश जारी करने तथा नियमानुसार भुगतान करने, मॉनिटरिंग एवं नियंत्रण हेतु संबंधित कलेक्टर पूर्ण सक्षम होंगे। अनुबंध अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्य न करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु कलेक्टर स्वयं सक्षम होंगे।

13. रुचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने हेतु अर्हता :-

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था का पेन (PAN) एवं टैन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
- प्रति वर्ष का टर्न ओवर 1.00 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। विगत 03 वर्षों में संस्था का औसत टर्न ओवर प्रस्तुत करना होगा। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा।
- सुरक्षा निधि के रूप में रु 5.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. 02 वर्ष की अवधि हेतु संलग्न होना चाहिए। (कंडिका 18 के अनुसार)

14. रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :- कंडिका 13 में उल्लेखित अर्हता में योग्य पाए जाने पर तकनीकी निविदा खोला जाएगा, अतः इससे संबंधित अभिलेखों को प्रथम बंद लिफाफे में रखा जाए, जिस पर अनिवार्य अर्हता संबंधी अभिलेख लिखा जाए। **द्वितीय** लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव संबंधी अभिलेख, जो कंडिका 15 में उल्लेखित है, के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर संचालक के हस्ताक्षर एवं सील सहित होना चाहिए। **तृतीय** लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव होगा। तीनों सीलबंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर सीलबंद कर विज्ञापन में दर्शाये गए पते पर निश्चित तिथि एवं समय में भेजना होगा।

15. रुचि के अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन :-

विभाग द्वारा संस्था चयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी कर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सह मूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे:-

पहला भाग (अ)- तकनीकी मूल्यांकन

द्वितीय भाग (ब)- वित्तीय मूल्यांकन

15.1 तकनीकी मूल्यांकन – न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव खोला जाएगा। यह अधिकतम 100 अंक का होगा।

पहला – (अ) संस्था/फर्म के अनुभव एवं कार्य की उपलब्धियों पर 60 अंक निर्धारित है जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाएगा :-

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक
1.	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव।	20
2.	संस्था का विगत तीन वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम (JEE main\ adv \ AIPMT\ PMT\ IESER) इत्यादि।	20
3.	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का संपूर्ण विवरण।	10
4.	अद्यतन अध्ययन सामग्री (Hard\ Soft Copy)	05
5.	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति	05

(ब)– शिक्षकों का मूल्यांकन हेतु प्रजेन्टेशन– प्रस्तुतीकरण पर 40 अंक दिया जाएगा। शिक्षकों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जाएगा।

क्र.	विवरण	अंक
1.	शिक्षकों का विषय ज्ञान एवं विषय की समझ	20
2.	शिक्षण कौशल	10
3.	समस्या समाधान के तरीके।	5
4.	बच्चों से संवाद	5

कुल तकनीकी मूल्यांकन (E_t) = (अ) + (ब) = 100 अंक

(स) तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतिकरण (छांटना) :- तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंक में से न्यूनतम 70% अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

15.2 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :- वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नांकित सूत्र पर आधारित होगा।

$$E_f = 100 \times F_m / F$$

जहां पर E_f का अर्थ वित्तीय अंक, F_m का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गए मूल्य से है।

15.3 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण – प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (E_t) का 70% अधिभार तथा वित्तीय अंक (E_f) का 30% अधिभार देते हुए, दोनों को जोड़कर अंतिम श्रेणीकरण किया जाएगा।

तकनीकी निविदा हेतु अन्य मानक तय करने/ अधिभार में परिवर्तन के लिए आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

16. प्रस्तावों के परीक्षण, मूल्यांकन एवं चयन समिति :-

(i) रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों से संस्था चयन हेतु समिति निम्नानुसार होगी:-

(अ) राज्य स्तरीय समिति :-

- | | |
|---|------------------|
| 1. आयुक्त/संचालक | – अध्यक्ष |
| 2. संचालक/प्रतिनिधि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् | – सदस्य |
| 3. संयुक्त संचालक (वित्त) | – सदस्य |
| 4. योजना प्रभारी अधिकारी | – (संयुक्त सचिव) |
| 5. प्रयास आवासीय विद्यालय के एक प्राचार्य/
प्रशासकीय अधिकारी | – सदस्य |

(ब) जिला स्तरीय समिति :-

- | | |
|--|--------------|
| 1. कलेक्टर/प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर के रैंक से कम न हो | – अध्यक्ष |
| 2. जिला शिक्षाधिकारी | – सदस्य |
| 3. जिला कोषालय अधिकारी | – सदस्य |
| 4. परियोजना समन्वय रा.गां.शि.मि. | – सदस्य |
| 5. सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | – सदस्य सचिव |

(ii) शिक्षकों की प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :-

(अ) राज्य स्तरीय समिति :-

1. संचालक, आ.जा.अनु.जा.वि. — अध्यक्ष
2. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् या आयुक्त, आ.जा.क.द्वारा नामांकित 03 विषय विशेषज्ञ — सदस्य
3. प्रभारी अधिकारी — सदस्य सचिव

(ब) जिला स्तरीय समिति :-

1. कलेक्टर/प्रतिनिधि जो अपर कलेक्टर के रैंक से कम न हो — अध्यक्ष
2. कलेक्टर द्वारा नामांकित 03 विषय विशेषज्ञ — सदस्य
3. सहायक आयुक्त, आ.जा.क. —सदस्य सचिव

(iii) प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया :- शिक्षक अपने विषय के प्रस्तुतीकरण कक्षा 10वीं तथा 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समक्ष करेंगे। शिक्षकों के शिक्षण कौशल एवं विषयवस्तु के प्रस्तुतीकरण पर बच्चों से फीड बैक प्राप्त किए जाएंगे तथा फीड बैक पर भी अधिभार दिए जाएंगे।

17. चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व :-

1. प्रयास आवसीय विद्यालय हेतु नियुक्त शिक्षक की न्यूनतम योग्यता :- एम. ए/एमएससी/बी.टेक/बी.ई./एम.बी.बी.एस. में न्यूनतम 75 प्रतिशत या समकक्ष ग्रेड होना आवश्यक है।
2. शिक्षक संबंधित संस्था में कम से कम 3 वर्षों से कार्यरत हो, इस हेतु संस्था को सैलरी एकाउंट का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रयास विद्यालय हेतु नियोजित शिक्षक प्रयास विद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/ कोचिंग कक्षाओं में अध्यापन कार्य नहीं करेगा।
4. डेमो में भाग लेने वाले शिक्षक को ही शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
5. रायपुर मुख्यालय स्थित प्रयास विद्यालय में कोचिंग संस्था द्वारा नियुक्त शिक्षक को आयुक्त के अनुमति के बिना नहीं बदला जा सकेगा। इसी प्रकार अन्य जिलों के प्रयास विद्यालय में शिक्षकों को कलेक्टर के बिना अनुमति के नहीं बदला जा सकेगा।
6. चयनित शिक्षकों द्वारा प्रभावी/ गुणवत्ता मूलक शिक्षण करने में सक्षम नहीं पाए जाने पर आयुक्त/कलेक्टर के निर्देश पर योग्य शिक्षक की पूर्ति 15 दिवस के अंदर करना अनिवार्य होगा।
7. समस्त आवश्यक अधोसंरचना अनुबंध अनुसार उपलब्ध कराना होगा।
8. अनुबंध होने के पश्चात प्रशासकीय अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दिए जाने के अधिकतम एक सप्ताह के अंदर कोचिंग/अध्यापन प्रारंभ करना होगा।
9. प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रत्येक माह मासिक, त्रैमासिक एवं छःमाही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों के अध्ययन में सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत् सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था प्रमुख को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसे प्रशासकीय अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

10. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए विषयों हेतु विषय विशेषज्ञ रखना होगा।
11. विषय विशेषज्ञ हेतु प्रयास संस्था के आसपास रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी कोचिंग संस्था की होगी।
12. शाला अवधि पश्चात रेमेडियल क्लासेस हेतु कोचिंग संस्था के विषय विशेषज्ञ अनिवार्य रूप से प्रयास संस्था में उपस्थित रहेंगे।
13. प्रवेशित अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व विकास एवं इंग्लिश स्पीकिंग हेतु भी प्रशिक्षण देना होगा।
14. प्रतियोगी परीक्षाओं (JEE main/advance, AIPMT/PMT, PET, BAMS) इत्यादि का फार्म भरवाना, काउंसलिंग कराना तथा विद्यार्थियों को इन संस्थाओं में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग प्रदान करना। यह कोचिंग संस्था एवं विद्यालय में कार्यरत विभागीय अमले का संयुक्त दायित्व होगा।
15. विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्थान का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। इस हेतु विद्यालय में निरीक्षण पंजी रखना होगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षण/कोचिंग से संबंधी आवश्यक अभिलेख मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
16. संस्था को एक कैरियर काउंसलर/मनोवैज्ञानिक रखना होगा।
17. ऑनलाईन साफ्टवेयर पर कोचिंग संस्था द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति अपलोड करना होगा।

18. सुरक्षा निधि :-

संस्था द्वारा 5.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर (दो वर्ष की अवधि हेतु) बनाकर आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर के पक्ष में देय होगा। जिन संस्थाओं का अंतिम चयन नहीं होगा। उन्हें बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर चयन प्रक्रियापूर्ण होने के पश्चात विमुक्त कर दिया जाएगा। चयनित/अनुबंधित संस्था का बैंक ड्राफ्ट/एफडीआर अनुबंध अवधि समाप्त होने पर विमुक्ति योग्य होगा।

19. इम्पैनल्ड कोचिंग संस्था को कार्य आबंटन एवं अनुबंध :-

रुचि की अभिव्यक्ति में चयनित कोचिंग संस्था को अधिकतम दो वर्ष के लिए इम्पैनल्ड किया जाएगा। इम्पैनल्ड संस्थाओं का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले वर्षों में नवीनीकरण हेतु विचार किया जा सकेगा। चयनित संस्था द्वारा में कार्य बीच में कार्य छोड़ने पर अमानत राशि राजसात करते हुए शेष संस्थाओं में से वरियता क्रमानुसार अन्य संस्था को कार्यादेश दिया जा सकेगा।

20. राशि का भुगतान :-

चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को स्वीकृत निविदा राशि का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान स्वीकृत सीट संख्या के आधार पर अनुबंध अनुसार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अगस्त एवं जनवरी माह में 04 समान किश्तों में किया जाएगा। किश्तों का भुगतान संस्था के प्राचार्य, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त की अनुसंधान के आधार पर आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास/जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् किया जाएगा। जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि (कुल देय राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि सहित) का भुगतान प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

विभाग द्वारा अनुमोदित प्रति विद्यार्थी अध्यापन सह कोचिंग दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शुल्क (सर्विस चार्ज) इत्यादि का भुगतान पृथक से नहीं किया जाएगा। फर्म को नियमानुसार आयकर कटौती उपरांत किश्त की राशि देय होगी। 20 प्रतिशत राशि का भुगतान निम्नांकित मानदंड के आधार पर किया जाएगा :—

(अ)

1. कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित गणित समूह के विद्यार्थी आईआईटी/एनआईटी में 10 प्रतिशत एवं बायो ग्रुप का एआईपीएमटी/एआईएमएस/पीएमटी/बीएएमएस 05 प्रतिशत अंतिम रूप से चयन होने पर संपूर्ण 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित गणित समूह के विद्यार्थी आईआईटी/एनआईटी में 10 प्रतिशत एवं बायो ग्रुप का एआईपीएमटी/एआईएमएस/पीएमटी/बीएएमएस 05 प्रतिशत अंतिम रूप से चयन होने पर संपूर्ण 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
3. कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित गणित समूह के विद्यार्थी आईआईटी/एनआईटी में 05 प्रतिशत एवं बायो ग्रुप का एआईपीएमटी/एआईएमएस/पीएमटी/बीएएमएस 03 प्रतिशत अंतिम रूप से चयन होने पर संपूर्ण 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर परीक्षा परिणाम न आने की स्थिति में 20 प्रतिशत राशि देय नहीं होगी।

(ब)

1. कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर संपूर्ण 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, विज्ञान पहेली, गणित ओलंपियाड अथवा इसी स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करना होगा।
2. कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर संपूर्ण 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, विज्ञान पहेली, गणित ओलंपियाड अथवा इसी स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करना होगा।
3. कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर संपूर्ण 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, विज्ञान पहेली, गणित ओलंपियाड अथवा इसी स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करना होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर परीक्षा परिणाम न आने की स्थिति में 20 प्रतिशत देय राशि राजसात कर ली जाएगी।

21. प्रशासकीय अधिकारी प्रयास के दायित्व :-

- (i) प्रशासकीय अधिकारी विद्यालय के प्रमुख होंगे तथा विद्यालय पर समस्त प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण प्रशासकीय अधिकारी का होगा।
- (ii) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यालय के गतिविधियों का सफलता पूर्वक संचालन एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे।
- (iii) विद्यालय के क्रियाकलापों के लिए वरिष्ठ कार्यालयों एवं अन्य विभागों से सहयोग लेने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।
- (iv) प्रशासकीय अधिकारी कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदत्त फैंकल्टी पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे।
- (v) प्रशासकीय अधिकारी, अनुबंध की शर्तों के अनुरूप अनुबंधित कोचिंग संस्थान से कार्य करवायेंगे।
- (vi) विद्यालय के व्यक्तित्व विकास हेतु समय-समय पर मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित कर व्याख्यान करावेंगे।
- (vii) मेस का सुव्यवस्थित संचालन करावेंगे एवं उसका हिसाब रखेंगे तथा प्रतिमाह भोजन व्यय का हिसाब रखेंगे तथा प्रति विद्यार्थी डाइट चार्ज निकालेंगे।
- (viii) प्रतिमाह मदवार व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे।
- (xi) विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था एवं अनाधिकृत प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।
- (x) प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों के बाह्य मूल्यांकन का प्रबंध करेंगे, जिससे विद्यार्थी एवं कोचिंग संस्था के दक्षता का मूल्यांकन हो। यह वर्ष में दो बार अर्थात् माह अक्टूबर एवं जनवरी में होगा। इसकी प्रगति से अवगत कराना होगा।
- (xi) समय-समय पर विभाग के हित में सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निर्वहन करेंगे।
- (xii) अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य करवाया करेंगे।

22. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के दायित्व :-

- (i) प्रयास आवासीय विद्यालय का समय-समय पर पर्ववेक्षण करेंगे तथा माह में न्यूनतम दो बार निरीक्षण करा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) प्रशासकीय विद्यालयों के संचालन में आ रही बाधा समस्या का निराकरण करेंगे।
- (iii) प्रशासकीय अधिकारी के सीमा से बाहर अन्य कार्यों के लिए बाह्य सहायता एवं मार्गदर्शन देंगे।

23. प्रयास विद्यालय हेतु संचालन समिति :-

(अ) मुख्यालय स्तर पर संचालन समिति

उक्त संस्था के संचारु संचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार संचालन समिति गठित की जाएगी, जो निम्नानुसार होगी :-

- (1) आयुक्त/संचालक, आ.जा.क., मुख्यालय रायपुर — अध्यक्ष
- (2) अपर संचालक/उपायुक्त (प्रशासन/शिक्षा) — सदस्य
- (3) योजना प्रभारी अधिकारी — सदस्य
- (4) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/नोडल अधिकारी — सदस्य सचिव

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाएगी। इसमें समस्त प्रशासकीय अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, समस्त जानकारी के साथ अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

(ब) जिला स्तर पर संचालन समिति :- जिला स्तर पर संचालन समिति के निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

- | | |
|--|--------------|
| (1) जिला कलेक्टर | — अध्यक्ष |
| (2) जिला शिक्षा अधिकारी | — सदस्य |
| (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | — सदस्य |
| (4) महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी | — सदस्य |
| (5) जिला खाद्य अधिकारी | — सदस्य |
| (6) सहायक आयुक्त, आ.जा.क. | — सदस्य सचिव |

संचालन समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जाएगी।

24.राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति :- इसका गठन निम्नानुसार होगा :-

- | | |
|--|--------------|
| (1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. | — अध्यक्ष |
| (2) आयुक्त, आ.जा.एवं अनु.जा.वि.वि. | — सदस्य |
| (3) संचालक, लोक शिक्षण | — सदस्य |
| (4) संचालक, एस.सी.आर.टी. | — सदस्य |
| (5) प्रबंध संचालक, रा.गां.शि.मि. | — सदस्य |
| (6) योजना प्रभारी अधिकारी | — सदस्य सचिव |
| (4) संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/नोडल अधिकारी | — सदस्य |

समिति द्वारा योजना का संपूर्ण मूल्यांकन कर योजना में सुधार एवं इसे बेहतर बनाने हेतु निर्देश दे सकेंगी। इसकी बैठक वर्ष में 01 बार आयोजित होगी।

25. वित्त पोषण एवं बजट :-

(अ) योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत मांग संख्या 41 मुख्यशीर्ष 2202 योजना क्रमांक 7437 द्वारा किया जाएगा।

(ब) योजना अंतर्गत चयनित/अनुबंधित संस्था को प्रति विद्यार्थी के मान से 9वीं एवं 10वीं/11वीं एवं 12वीं के अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जाएगा। शिक्षण शुल्क का भुगतान दो वर्षों में (अनुबंध अवधि के अंतर्गत) विभिन्न किश्तों में किया जाएगा।

26. संस्था चयन प्रक्रिया के दौरान विवाद अथवा विवाद की स्थिति निर्मित होने पर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0) का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(राजेश सुकुमार टोप्पो)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, नया रायपुर